International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979
Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 11; November 2017; Page No. 201-204

उमरिया जिले में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का स्वरूप

डॉ. ऋचा गोस्वामी
पी–एच. डी., समाजशास्त्र, अ. प्र. सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र उमरिया जिले में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का स्वरूप के अध्ययन पर आधारित है। उमरिया जिले में जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिीलता का प्रभाव कम ही देखने को मिलता है। समाजषास्त्र में सामाजिक गतिशीलता से आशय एक व्यक्ति या समूह द्वारा कोई पद, स्थान या व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे पद, स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने से लिया जाता है। वास्तव में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से जिले की जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था का भरपूर लाभ मिल रहा है। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने से लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब देश में लगभग 43 फीसदी तक महिला प्रतिनिधि चुनी गयी है।[5] कुछ राज्यों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है।

शब्द कुंजीः उमरिया जिला, जनजातीय महिलाएँ, सामाजिक, गतिशीलता

प्रस्तावना
देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले मध्य प्रदेश के कुल 50 जिलों में से 21 जिले आदिवासी जिले घोषित किए गये हैं। ये आदिवासी जिले क्रमषः अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिण्डौरी, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, मण्डला, रतलाम, सिवनी, शहडोल,श्योपुर, सीधी, सिंगरौली तथा उमरिया हैं। मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से शोध हेतु चयनित उमरिया जिला एक आदिवासी बाहुल्य वाला जिला है। जिले में प्रमुख रूप से गोंड़, कोल एवं बैगा जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवासरत हैं। सरकार द्वारा जनजातीय विकास हेतु कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं ताकि जनजातीय समाज के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
जनजातीय विकास हेतु राज्य में 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। राज्य में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत 26 वृहद् परियोजना, 05 मध्यम परियोजना, 30 लघु अंचल, 06 क्लस्टर तथा 89 आदिवासी विकासखण्ड होने के बावजूद राज्य में जनजातीय महिलाओं की दषा में यथोचित सुधार नहीं हो सका है।

एम.ए. दुबे
''सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, जिसके अन्तर्गत या तो व्यक्ति या सम्पूर्ण समूह की आर्थिक, राजनैतिक या व्यावसायिक प्रस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है।''[1]

सोरोकिन
''सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुण्ड में एक सामाजिक पद से दूसरे साामजिक पद में परिवर्तन होना है।''[1]

पीटर
''समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाले स्थिति, पद, पेशा/निवास–स्थान सम्बन्धी परिवर्तनों को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।''[1]

फिचर
''सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद से दूसरे में गति करने को कहते हैं।''[1]

बोगार्डस
''सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है।''[1]
विभिन्न विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रस्थिति में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता को हम सामाजिक परिवर्तन का एक अंश मानते हैं। सामाजिक परिवर्तन से किसी समाज में उसके सामाजिक सम्बन्धों, संरचना तथा उसके प्रकार्यों एवं संगठनों में होने वाले परिवर्तन होते हैं जबकि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रस्थिति/पद में होने वाले परिवर्तन को बताती है। सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था से है। कोई भी समाज स्थिर तथा स्थायी नहीं रह सकता क्योंकि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था निरंतर परिवर्तित होती है। इस प्रकार सामाजिक संरचना तथा कार्यात्मक स्वरूप में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।[2]
सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में तीव्र या कम पाया जाता है। चाहे वह प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक एवं आधुनिक समाज हो। परिवर्तन एक अविराम प्रक्रिया है। समूह के आकार में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, घुमंतू जीवन–पद्धति से स्थायी जीवन–पद्धति की ओर विकास, नवीन दार्षनिक विचार, युद्ध और अकाल आदि वे घटनाएँ हैं जो सामाजिक परिवर्तन से सम्बद्ध हैं।[3]
भारतीय समाज सदियों से अनेक कुरीतियों का शिकार रहा है। इन कुरीतियों के कारण समाज में विभाजन हुआ और एकता की भावना मजबूत नहीं हो सकी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने हिन्दुओं की पराजय का प्रमुख कारण भारतीय सामाजिक संगठन की

कमजोरियाँ थीं जिनमें अशिक्षा, जातिप्रथा, स्त्रियों की दयनीय दशा, बाल–विवाह, कन्या वध, अंधविश्वास तथा भाग्यवादिता आदि थीं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 18वीं सदी के अन्तिम वर्षों से आरम्भ हुआ तथा अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रपात एवं पाश्चात्य सम्पर्क ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया को तेज किया। सामाजिक गतिशीलता से प्रस्थिति/पद में परिवर्तन उच्च एवं निम्न दोनों ही रूपों में होता है जिसे 'सामाजिक स्तरीकरण' कहा जाता है। सामाजिक गतिषीलता दो प्रकार की होती है–

1. क्षैतिज/समरैखिक सामाजिक गतिशीलता
2. रैखिक/उदग्र सामाजिक गतिशीलता

क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु रैखिक सामाजिक गतिषीलता में व्यक्ति/समूह की गतिशीलता में तेजी से परिवर्तन होता है।

शोध विधि

शोध हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के समंकों का संकलन किया गया है। प्राथमिक समंक के संकलन हेतु अनुसूची/प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। अनुसूची में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक गतिशीलता से संबंधित प्रत्येक पहलू को शामिल किया गया है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त अनुसूची का परीक्षण कर उसकी वास्तविकता एवं सार्थकता की जांच की गयी। अनुसूची में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश हो। निर्मित की गयी अनुसूची में 200 आदिवासी महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया है। एकत्रित किए गए प्राथमिक समंकों/स्त्रोतों में उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति का सहारा लिया गया है।

शोध कार्य में द्वितीयक समंको के लिए सरकारी प्रकाशनों, अद्धशासकीय संस्थाओं के प्रकाशन, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, अप्रकाशित स्त्रोत, साहित्य, दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएँ आदि से आंकड़े एवं तथ्य प्राप्त किये गए हैं। द्वितीयक समंकों में नैतिकता के परीक्षण हेतु प्राथमिक समंक एकत्र किए गए है। शोधकर्ता ने विभिन्न जनजातीय महिलाओं से मिलकर यह जानने का प्रयास किया है कि उनकी सामाजिक गतिशीलता एवं आर्थिक विकास से वह कहॉ तक लाभान्वित हुए है।

शोध क्षेत्र का परिचय

6 जुलाई 1998 ई. को गठित उमरिया जिला मध्यप्रदेश के उत्तर–पूर्व की ओर 23.80 उत्तरी अक्षांश से 80.24 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। उमरिया जिला समुद्र की सतह से 489 मीटर (1507 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। उमरिया जिले की उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 150 कि.मी. एवं पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 60 कि.मी. है। जिले में दक्षिण–पूर्वी रेल्वे लाइन उमरिया जिला मुख्यालय एवं चंदिया, नौरोजाबाद, बिरसिंहपुर पाली नगरीय क्षेत्रों से गुजरती है। उमरिया जिले का अधिकांष भाग पठारी है, जो बघेलखण्ड के पठार के अन्तर्गत आता है। बघेलखण्ड के पठार की ऊँचाई लगभग 350 मीटर है। जिले का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग पठारी है। जिले के मध्य में उमरिया शहर स्थित है। जिले की पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग मैदानी इलाका है।

शोध का महत्व

जनजातीय विकास हेतु प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की राशि खर्च की जाती है। जनजातीय विकास हेतु सरकार कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। महिला सशक्तिकरण हेतु नये–नयें कानून बन रहे है। परंतु इन कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नियम–कानूनों से जनजातीय महिलाओं का कितना सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ है? इन सारी बातों का अध्ययन इस शोध में किया गया है। इस प्रकार जनजातीय महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके सरकार को इनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान कराना ही इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

उमरिया जिले में निवासरत तीन प्रमुख जनजाति गोंड़, कोल एवं बैगा जनजाति की महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता में विगत दशक से तेजी देखने को मिलती है। जिले की जनजातीय महिलाओं में मुख्य रूप से क्षेत्रीय समूह गतिशीलता एवं अन्तः व्यवसायी गतिशीलता अधिक दिखाई देती है। क्षेत्रीय समूह गतिशीलता से आशय एक क्षेत्र या समुदाय को छोड़कर/गाँव छोड़कर नगरों में जाकर बसने से है जबकि अन्तः व्यवसायी गतिशीलता से आषय एक ही प्रकार के व्यवसाय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करने से है। जिले में जनजातीय महिलाओं में बाह्य व्यवसायी गतिशीलता से आषय एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे भिन्न प्रकार के व्यवसाय में काम करने से है। भारत जैसे परम्परावादी एवं जाति प्रधान समाज में जहाँ प्रत्येक जाति का एक परम्परात्मक व्यवसाय होता है, वहाँ बाह्य व्यवसायी गतिशीलता कम पायी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तः राज्यीय एवं अन्तः धार्मिक गतिशीलता जनजातीय महिलाओं में कम ही मिलती है। जिले की जनजातीय महिलाओं में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक गतिशीलता नहीं है। जिले की जनजातीय महिलाओं में रैखिक/उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लक्षण प्रायः कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जिले की अधिकांश जनजातीय महिलाएँ अशिक्षित हैं। रैखिक/उदग्र सामाजिक गतिशीलता से आशय किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाने से है।

सोरोकिन ने रैखिक/उदग्र सामाजिक गतिशीलता को दो उपभागों में बांटा है– 1. ऊर्ध्वगामी (Upward) 2. अधोगामी (Downward) इसे वह क्रमशः सामाजिक उत्थान (Social Climbing) तथा सामाजिक पतन (Social Sinking) भी कहते हैं।[4] ऊर्ध्वगामी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारतीय जाति–व्यवस्था है, जिसमें कई बार मध्यम वर्ग की जातियाँ जाति–व्यवस्था में ऊँचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को व्यक्त किया है।

श्रीनिवास के अनुसार ''संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति/जनजाति अपने से ऊँची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन–सहन के ढंग को अपना लेती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति ऊँची उठ जाती है। इस प्रकार संस्कृतिकरणनिम्न जातियों में रैखिक/उदग्र सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करता है।[4]

देश में सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख कारण औद्योगीकरण, नगरीकरण, उदारीकरण है। भारत में 1990 के दशक के बाद से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ जिससे औद्योगिक, नगरीय एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू हो गये। बढ़ते आवागमन के साधन, नगरों एवं शहरों का विस्तार, रोजगार के विभिन्न अवसरों की उपलब्धता, शिक्षा में सुधार, सामाजिक बंधनों में शिथिलता, कमजोर होती जाति–प्रथा तथा सरकारी प्रयास आदि के

कारण जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है।

एक सामान्य धारणा है कि जनजातीय समाज एक बंद समाज होता है परन्तु आज 21 वीं सदी के दौर में जब जाति–व्यवस्था की कठोरता लगभग समाप्त हो गयी है तथा सामाजिक बंधनों में शिथिलता आ रही है तो ऐसी स्थिति में जिले की जनजातीय महिलाओं ने भी उदारीकरण, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के समय में सामाजिक गतिशीलता को अपनाकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रही हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियाँ आज भी विद्यमान हैं, जिससे भारतीय जनजातियाँ भी उक्त कुरीतियों से ग्रस्त हैं, परन्तु वर्तमान में जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार सरकार के जनजातीय विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम एवं अभियान तथा सामाजिक हितार्थ लागू कई जन कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के कारण जिले की जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, परन्तु यह तुलनात्मक रूप से कम है क्योंकि आज भी भारतीय जनजातीय समाज बंद सामाजिक गतिशीलता के कारण व्यक्ति के पद एवं स्तर समूह का निर्धारण जन्म तथा आनुवंशिकता के आधार पर करता है। वर्तमान में नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता भी स्वयंमेव बढ़ रही है।

सामान्यतः जनजातीय समाजों एवं जाति पर आधारित समाजों को बंद समाजों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ऐसे समाजों में व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुणों में वृद्धि करके सामाजिक स्थिति को ऊँचा नहीं उठा सकता, किन्तु वर्तमान में जिले में जनजातीय समाज के स्त्री एवं पुरुष दोनों ही सामाजिक गतिशीलता में अग्रसर हैं। हालांकि इसमें महिलाओं में सामाजिक गतिषीलता के लक्षण कम दिखाई देते हैं। दुनिया के लगभग सभी समाजों में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम पाया जाता है, इसके साथ ही कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो निम्न वर्ग/जनजाति वर्ग के लोगों के ऊँचा उठने पर प्रतिबंध लगाते हैं। वर्तमान में ऐसी सारी वर्जनाएँ टूट रही हैं। व्यक्ति अपने पसंद एवं अवसर के अनुरूप नये रोजगार में जा रहे हैं। जिले की जनजातीय महिलाएँ भी शिक्षित होकर रोजगार के नये क्षेत्रों में प्रवेष कर रही हैं तथा अपने परम्परागत क्षेत्रों से निकलकर समरूपी विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं।

भारतीय सामाजिक ढाँचा समाज में पुरुष एवं महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाएँ निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढाँचे में पुरुषों को अधिकार, संसाधन एवं निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है जबकि महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएँ सौपी गयी हैं, जैसे माता, पत्नी, गृहणी, रसोइया और बच्चों की देखभाल आदि।[5]

निःसंदेह जिले की जनजातीय महिलाओं को गैर जनजातीय महिलाओं से कई ज्यादा निर्णय लेने की आजादी है। जिले की जनजातीय महिलाएँ न सिर्फ खेती, मजदूरी, वनोपज संग्रह करके धन अर्जन करती हैं, बल्कि वे पुरुषों के कार्यों में भी बराबर की भागीदारी निभाती हैं।

महिला सशक्तिकरण के सार्थक प्रयासों से जिले की जनजातीय महिलाओं में विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता देखने को मिलती है। जिले की कई जनजातीय महिलाएँ आज न सिर्फ जिले बल्कि प्रदेश में पहचानी जाती है क्योंकि वे जनप्रतिनिधि होकर विधानसभा में बैठी हैं इनमें जिले की मानपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित सुश्री मीना सिंह हैं जो कि जनजाति से सम्बन्धित है। इनके अतिरिक्त शकुन्तला प्रधान, ज्ञानवती भी जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं। ज्ञातव्य है कि 1994 में महिला आरक्षण लागू होने के बाद अकेले मध्य प्रदेश में 1,50,500 महिलाएँ जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित हुई हैं।[6]

जिले में वर्तमान में जनजातीय महिलाएँ रोजगार के नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं जिनमें पहले परम्परागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व था। आज ये महिलाएँ जिले में शिक्षा, चिकित्सा, बैकिंग, पुलिस, पोस्ट आफिस, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर रही हैं। कई जनजातीय महिलाएँ सामाजिक कार्यकर्ता एवं गैर सरकारी संगठनों में कार्य कर रही हैं। दूसरे शहरों/नगरों में रोजगार के नये विकल्प तलाशने के लिए कई महिलाएँ अपने परम्परागत काम एवं व्यवसाय को छोड़कर शहरों में बसकर नौकरी कर रही हैं। शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं लड़की को समानता का अधिकार देने के सरकारी मुहिम के कारण जिले की कई आदिवासी लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य सँवारने में लगी हैं। जिले की कई पंचायतों में जनजातीय महिलाएँ सरपंच निर्वाचित हुई हैं। इस प्रकार जिले में जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता तेजी से बढ़ रही है। शासन की विभिन्न रोजगार परक एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों के कारण वर्तमान में जिले की जनजातीय महिलाएँ आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर होकर विकास पथ पर अग्रसर हैं। परन्तु यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो जिले की मात्र 20 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ ही सामाजिक गतिशीलता की सीमा में है, बाकी 80 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ आज भी परम्परागत कार्य करती हैं तथा उनकी सामाजिक प्रस्थिति/पद में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसके लिए अधिक सतत् प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिससे जिले की जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता हो।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के बीच 41.2 प्रतिशत साक्षरता दर्ज की गयी जबकि 1991 में यह 18.4 प्रतिशत थी। 2001 में राष्ट्रीय स्तर अनुसूचित जनजाति के बीच 47.1 प्रतिशत साक्षरता पायी गयी।[7] उमरिया जिले में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति में साक्षरता 44.8 प्रतिशत पायी गयी, जबकि जिले में कुल साक्षरता 59.1 प्रतिशत दर्ज की गयी। सारणी क्रमांक – 4.14 में राज्य की प्रमुख जनजातियों के विभिन्न समुदायों के बीच साक्षरता दर को दर्शाया गया है।[8]

सारणी 1: अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों के बीच साक्षरता दर

क्र.	साक्षरता दर	राज्य में अनुसूचित जनजाति	गोंड़	कोल	बैगा	कोरकू	भील	सहरिया
1.	पुरुष	41.2	50.3	35.9	32.3	38.8	34.5	28.7
2.	महिला	28.4	36.4	22.9	20.1	24.5	23.0	15.9

सारणी 2: उमरिया जिले में जनजातियों में तुलनात्मक साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	गोंड़		कोल		बैगा	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2001	52	40	48	36	42	32
2011	58	43	50	37	42	35

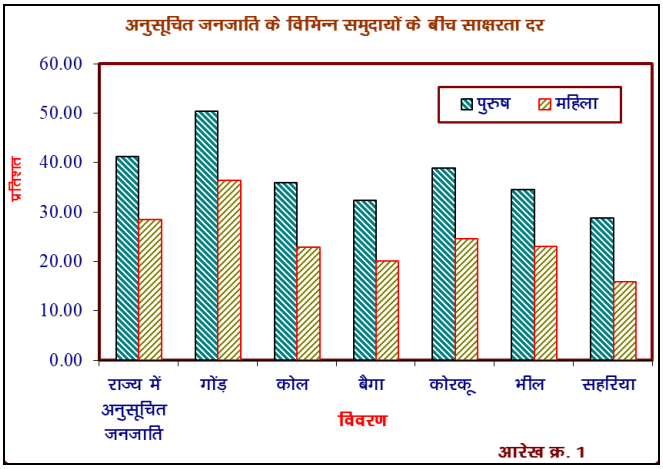

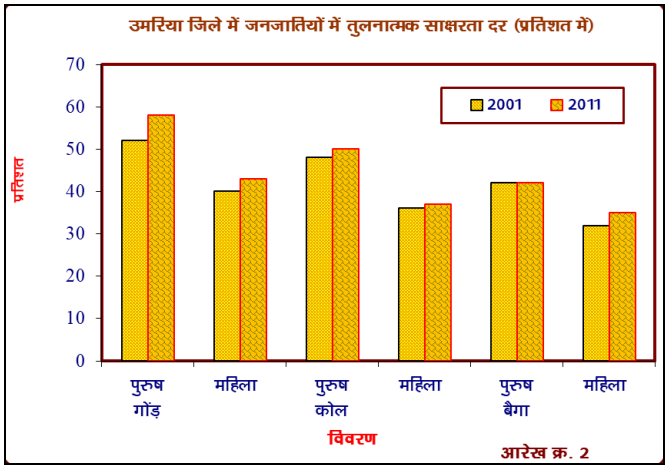

आकृति 1

वास्तव में जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग में केवल गोंड़ जनजाति ही सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से कोल एवं बैगा जनजाति से आगे है। इस वर्ग की लड़कियाँ तो शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे हैं। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि कोल एवं बैगा जनजाति के पुरुष पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जबकि लड़कियाँ कम से कम हायर सेकेण्ड्री करने की इच्छा रखती हैं और इस इच्छा को पूरा भी कर लेती हैं। पुरुष अधिकांशतः पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करने लगते हैं या फिर कृषि, वनोपज संग्रह एवं मजदूरी करके पारिवारिक जिम्मेदारियों के कार्य का निर्वहन करने लगते हैं।

निष्कर्ष

महिलाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, राजनीति में सक्रियता, अधिकारों के लिए विधानमंडलों एवं वैधानिक निकायों में सक्रियता एवं सहभागिता, समानता के अवसरों को पाने की इच्छा एवं सामाजिक परिवर्तन की अति आवष्यकता है। इन सभी समन्वित प्रयासों से ही जिले में जनजातीय महिलाओं का वास्तविक सषक्तिकरण का सपना सम्भव हो पायेगा। महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक है क्योंकि कोई भी योजना तभी सार्थक एवं सफल हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाये। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिले में जनजातीय महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता में विगत दशक से वृद्धि हुई है, परन्तु जिले में जनजातीय जनसंख्या के अनुरूप इसका प्रतिशत अभी भी बहुत कम है, जिसमें सतत् रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि जिले की जनजातीय महिलाओं का बहुआयामी विकास सम्भव हो सके।

सन्दर्भः

1. गुप्ता, एम.एल. – समाजशास्त्र (2010), साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पेज–238
2. जोशी, ओम प्रकाश – भारत में सामाजिक परिवर्तन (2008), रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पेज–1
3. गुप्त, विश्व प्रकाश – भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन (2006), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पेज–21
4. गुप्ता, एम.एल. – समाजशास्त्र (2010), साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पेज–240
5. कुरुक्षेत्र, जनवरी 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पेज– 18
6. कुरुक्षेत्र, जनवरी 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पेज– 19
7. म.प्र. सन्दर्भ 2012 – जन सम्पर्क संचालनालय भोपाल, पेज–90
8. म.प्र. सन्दर्भ 2012 – जन सम्पर्क संचालनालय भोपाल, पेज–92